

डिक्री मुकदमा इक्तदाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास - श्रीमति हरबिन्दर डी सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 96/2014/राजस्व वाद

उनवान

1. कमलावाइ पुत्री कन्हैयालाल पत्नि देवानन्द जाति दर्जी नि. भानपुरा म0प्र0

- वादीया

बनाम

1. रोशनबी पत्नि वहीदउल्ला जाति मुसलमान नि. फतहगढ तहसील पिडावा

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति - वकील वादीया - श्री पूरीलाल राठौड

वकील प्रतिवादी सं. 1 - श्री नीलकमल त्रिवेदी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रुबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रस्तुत वाद में ग्राम फतहगढ तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2069-72 के खाता स. 365 की आराजी किता 2 रकबा 6 बीघा भूमि के संबंध में तहसीलदार पिडावा से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। दावा फाइनल डिक्री कर पक्षकारान के खाते निम्नानुसार पृथक पृथक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

1. रोशनबी पत्नि वहीदउल्ला जाति मुसलमान नि. फतहगढ सा.देह -

ग्राम	खाता सं.	खसरा नं.	कुल रकबा	किस्म
फतहगढ	365	359	3-07	बारानी प्रथम
		861	1-03	बारानी दोयम
		कुल किता 2	4-10	

2. कमलीबाइ पुत्री कन्हैयालाल पत्नि देवानन्द जाति दर्जी सा.देह -

ग्राम	खाता सं.	खसरा नं.	कुल रकबा	किस्म
फतहगढ	365	359/1	1-02	बारानी प्रथम
		861/1	0-08	बारानी दोयम
		कुल किता 2	1-10	

निज मुवलिग वावत खर्चा इस मुकदमे के मय सुद बशरह सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

को जारी की गई।

(हरबिन्दर डी सिंह)

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ (राज.)

